भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4479

जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

झरिया कोयला क्षेत्र मास्टर प्लान

4479. श्री विष्णु दयाल रामः

श्री दुलू महतोः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झरिया कोयला क्षेत्र मास्टर प्लान के उद्देश्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन के दौरान कितना वित्तीय आवंटन और व्यय किया गया है;

(ख) झरिया मास्टर प्लान की मौजूदा स्थिति क्या है तथा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास के संबंध में समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) संशोधित झरिया मास्टर प्लान की स्थिति क्या है तथा उक्त योजना में किन सुधारों की सिफारिश की गई है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): भारत सरकार द्वारा झरिया मास्टर प्लान को 12 अगस्त, 2009 को ₹7112.11 करोड़ के बजट और 12 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। झरिया मास्टर प्लान के दो मुख्य उद्देश्य थे:

I) आग से निपटना

II) निम्नलिखित का पुनर्वास और पुनर्स्थापन:

- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के कर्मचारी

- गैर-बीसीसीएल परिवार [कानूनी स्वामित्व धारक (एलटीएच)/गैर-कानूनी स्वामित्व धारक (गैर-एलटीएच)] और संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्थित अन्य अवसंरचनाएँ (धार्मिक स्थल, स्कूल, अस्पताल, डाकघर, पुलिस स्टेशन आदि)।

झरिया मास्टर प्लान, 2009 की उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

1. बीसीसीएल, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद के सहयोग से, सतही अग्नि क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण करता है। नवीनतम वर्ष 2024-25 के सर्वेक्षण के अनुसार, सतही अग्नि का फैलाव 8.9 वर्ग किमी (जैसा कि वर्ष 2009 के मास्टर प्लान में दर्ज है) से उल्लेखनीय रूप से घटकर 1.53 वर्ग किमी रह गया है और अग्नि स्थलों की संख्या 67 से घटकर 18 हो गई है।

2. पुनर्वास के संबंध में, दिनांक 30.06.2025 तक 4479 बीसीसीएल परिवारों और 2855 गैर-एलटीएच परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है।

3. झरिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के दौरान किया गया व्यय निम्नानुसार है:

	दिनांक 30.06.2025 तक व्यय (₹. करोड़)
बीसीसीएल	1443.18
जेआरडीए	1090.83
कुल	2534.01

(ख) और (ग): झरिया मास्टर प्लान की अवधि 11.08.2021 को समाप्त हो गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आग, धंसाव से निपटने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु संशोधित झरिया मास्टर प्लान को दिनांक 25.06.2025 को मंजूरी दे दी है और इसे बीसीसीएल और जेआरडीए द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। सचिव (कोयला) और अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों पर आधारित सुझाव/सुधार निम्नानुसार हैं:

i. पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। पहले चरण में, मानव जीवन के लिए तत्काल खतरे वाले सबसे संवेदनशील स्थलों पर काम शुरू किया जाएगा और दूसरे चरण में, तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाले और कम खतरनाक स्थलों पर काम किया जाएगा।

ii. कोल इंडिया लिमिटेड/बीसीसीएल वर्तमान में लगी हुई आग और भविष्य में होने वाली किसी भी आगजनी की घटना से निपटेगा।

iii. आगे कोई और घर नहीं बनाया जाएगा तथा पहले से निर्मित घरों के स्वामित्व अधिकार दीर्घकालिक पट्टे पर दिए जाएँगे। निर्मित घरों के मौजूदा स्टॉक के समाप्त होने के बाद, घर के बदले नकद मुआवजा देने का एक नया विकल्प दिया जाएगा।

iv. परिवारों की पात्रता के लिए वर्ष 2019 की संशोधित कट-ऑफ तिथि को अंतिम सर्वेक्षण माना जाएगा।

v. बुनियादी ढाँचे के स्वामित्व वाले राज्य/केंद्र सरकार के विभाग अपनी स्वयं की लागत पर बुनियादी ढाँचे का पुनर्गठन/रिरूट/पुनर्निर्माण करेंगे।

vi. उपयुक्त कार्यकारी आदेशों/संविधि और सचिव (कोयला) एवं मुख्य सचिव, झारखंड की सह-अध्यक्षता में निगरानी समिति के साथ जेआरडीए को सुदृढ़ करना और भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद के समकक्ष झारखंड सरकार से संयुक्त सचिव रैंक के एक स्थायी सीईओ की नियुक्ति।

vii. पिछली योजना की तुलना में एलटीएच और गैर-एलटीएच परिवारों के लिए पैकेज में वृद्धि की गई है। एलटीएच परिवारों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भूमि और अवसंरचना के लिए मुआवज़ा और पुनर्वास सहायता प्रदान की जाएगी। गैर-एलटीएच परिवारों को पुनर्वास के लिए सहायता मिलेगी।

viii. वैकल्पिक रोज़गार और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए कौशल विकास के माध्यम से आजीविका संबंधी कार्रवाई का प्रावधान।

ix. पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्थल पर सिविक अवसंरचना का उन्नयन।

****